उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/5/98–का–1-2002
लखनऊ, दिनांक : 9 अगस्त, 2002

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2002 की (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसकी 2000 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–1 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
भुइयांदीन,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या—299 (ख-1)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 अगस्त, 2002

श्रावण 18, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 13/5/98–का–1-2002

लखनऊ, 9 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०–27

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ''उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956'' में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2002'' कही जाएगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नये नियम का बढ़ाया जाना

2–''उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956'' में वर्तमान नियम–15 के पश्चात् नया नियम 15-क बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के संबंध में प्रतिषेध

15–क–''कोई सरकारी कर्मचारी चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, न लगाएगा या ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा।''

आज्ञा से,

राजेन्द्र भौनवाल,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governer is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/5/98-Ka-1–2002, dated August 9, 2002 for general information:

No. 13/5/98-Ka–1-2002

Dated Lucknow, August 9, 2002

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956 :–

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2002

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

Insertion of new rule

2. In the ''Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956,'' *after* existing rule 15, the following new rule 15-A shall be *inserted,* namely:–

Prohibition regarding employment of children below 14 years of age

15-A. ''No Government Servants shall employ or engage a child below the age of fourteen years in any hazardous work or take begar or other similar forms of forced labour from such child.''

By order,
RAJENDRA BHONWAL,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 716 राजपत्र (हिन्दी)–(1654)–2002–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 15 सा० नियुक्ति–(1655)–2002–2,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।